भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2963
उत्तर देने की तारीख 17 दिसम्बर, 2025

मोबाइल डेटा स्पीड और टैरिफ

2963. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वेः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्ष 2014 से पहले मोबाइल रिचार्ज के लिए पे-एज़-यू-यूज़ प्रणाली लागू थी जिसके अंतर्गत डेटा, वॉयस और वैधता के लिए अलग-अलग टॉप-अप प्रदान किए जाते थे;

(ख) यदि हाँ, तो ट्राई/दूरसंचार विभाग द्वारा जारी ऐसे नियामक प्रावधान या आदेश/नीति का ब्यौरा क्या है जिसके अंतर्गत वर्ष 2016 के बाद दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा मासिक बंडल पैक (डेटा-वॉयस वैधता संयुक्त) शुरू किए गए थे;

(ग) क्या सरकार ने मोबाइल डेटा स्पीड और उसके टैरिफ के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार/दूरसंचार विभाग/ट्राई को पिछले दशक के दौरान डेटा स्पीड के संबंध में उपभोक्ताओं की शिकायतें प्राप्त हुई थीं और यदि हाँ, तो उक्त शिकायतों का वर्ष-वार और दूरसंचार कंपनी-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख) मौजूदा विनियामक टैरिफ फ्रेमवर्क के अनुसार, दूरसंचार सेवा के लिए टैरिफ राष्ट्रीय रोमिंग, ग्रामीण फिक्स्ड लाइन सेवाएं, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रभार, लीज्ड सर्किट और यूएसएसडी जैसी सेवाओं को छोड़कर फोरबियरेंस के तहत है। मौजूदा विनियामक प्रावधानों के अनुपालन के अध्यधीन, सेवा प्रदाता को बाजार की स्थिति और अपने सर्वोत्तम वाणिज्यिक हित की समझ के आधार पर टैरिफ का निर्धारण करने और उसे प्रस्तुत करने की छूट है। सेवा प्रदाताओं

को अपने प्रचालन के विभिन्न सेवा क्षेत्रों के लिए रिचार्ज वैल्यू और वैधता सहित विभिन्न कॉम्बिनेशन के साथ विभिन्न प्रकार की कॉल, एसएमएस, डेटा ऑफर आदि के लिए टैरिफ कम्पोनेंट संबंधी दरों का निर्धारण करने की छूट है। सेवा प्रदाताओं द्वारा टैरिफ का निर्धारण कई कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है जिसमें इनपुट लागत, प्रतिस्पर्धा का स्तर तथा अन्य वाणिज्यिक पहलू शामिल हैं।

(ग) ट्राई द्वारा दिनांक 2 अगस्त, 2024 को जारी सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) विनियम नामत: एक्सेस (वायरलाइन और वायरलेस) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सेवा की सेवा गुणवत्ता के मानक विनियम, 2024 (2024 का 06) प्रत्येक सेवा प्रदाता को यह अधिदेशित करता है कि वे अपने सभी टैरिफ ऑफरों में उपभोक्ताओं के लिए सामान्यत: उपलब्ध टिपिकल डाउनलोड और अपलोड स्पीड को दर्शाए। इसके अलावा, विनियमन में यह भी प्रावधान है कि अभिगम सेवा (वायरलेस) के 80% टेस्ट सैम्पलों में मापी गई डाउनलोड और अपलोड स्पीड ऑफर की गई टिपिकल डाउनलोड और अपलोड स्पीड से अधिक या उसके बराबर होनी चाहिए।

(घ) केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के अनुसार, पिछले दशकों के दौरान डेटा की स्पीड के संबंध में प्राप्त वित्तीय वर्ष-वार और दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) वार उपभोक्ता शिकायतों को अनुबंध ''क'' में सारणीबद्ध किया गया है:

"अनुबंध-क"

मोबाइल डेटा की स्पीड संबंधी शिकायत					
वित्त वर्ष	टीएसपी				
	बीएसएनएल	एमटीएनएल	बीएएल	आरजीआईएल	वीआईएल
2015-16	0	0	0	0	0
2016-17	0	0	0	0	0
2017-18	63	10	99	171	38
2018-19	60	9	113	295	46
2019-20	197	12	445	634	133
2020-21	370	8	980	1603	335
2021-22	398	2	1075	976	317
2022-23	336	18	1045	1011	398
2023-24	242	12	801	1595	161
2024-25	568	7	809	1283	199
2025-26 नवम्बर, 25 तक	408	5	1541	2148	332
कुल	2642	83	6908	9716	1959

*****